

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/स्थानांतरण/2019 दिनांक-29.09.2019 के तहत श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता, व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) राउमावि पीचूपाडा खुर्द, दौसा का स्थानांतरण राउमावि रीन्दली, महवा, दौसा किया गया। श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 17888/2019 श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 17888/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.10.2019 द्वारा माननीय अधिकरण को याचिकार्थी की अपील पर सुनवाई के निर्देश देकर अधिकरण के आगामी आदेश तक याचिकार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त नहीं करने तथा याचिकार्थी के विरुद्ध कोई अवपीड़क कार्यवाही अमल में नहीं लाने के आदेश प्रदान किये।


माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी हनुमान प्रसाद गुप्ता द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3471/2019 हनुमान प्रसाद गुप्ता बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई। अपील संख्या 3471/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.11.2019 द्वारा अपीलार्थी हनुमान प्रसाद गुप्ता को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण के आदेशानुसार अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं की प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अपना समायोजन डाईट बसवा, दौसा /राउमावि बड़ियालखुर्द, बांड़ीकुई, दौसा/राउमावि श्यामपुरा, बांड़ीकुई, दौसा अथवा श्यालावास कलां, बांड़ीकुई, दौसा में व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) के रिक्त पद पर करने की परियोजना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंगा से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता से स्थानांतरण के निर्देश प्राप्त है। याचिकार्थी इनमें से किसी भी श्रेणी से संबंध नहीं रखता है।

यह विधि सुस्थापित सिद्धांत है कि लोकसेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती है। याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। चूंकि हनुमान प्रसाद गुप्ता का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारों पर खारिज किया जा चुका है अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि रीन्दली, महवा, दौसा व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) के पद पर दिनांक 23/12/2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

  
(हिमांशु गुप्ता)  
आई.ए.एस.  
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक:- 20/12/2019

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/अभ्यावेदन/स्थानांतरण/को.के/19-20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा.....।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
4. जि.शि.अ. (माध्य-विधि).....।
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि.....।
8. गार्ड पंजिका।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर